न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 13/19 निर्णय दिनांकः 28.01.2019

1. रामदयाल पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—09—1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री उमशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—09—1995 जिसके द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के

पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से चक 10 ए.डी. हाल चक संख्या 5 एम.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/39 की 24 बीघा भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 22—03—1997 को वादगत भूमि के बाबत् निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई परन्तु वादगत् भूमि का आवंटन पट्टा व कब्जा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को प्रदान नहीं किया गया।

इस संबंध में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष समय—समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट को आवंटित भूमि का पट्टा व कब्जा देने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे है परन्तु अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि बकाया है तो उक्त बकाया राशि को भुगतान करने को तैयार है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे की वे अपीलांट को आवंटित भूमि का पट्टा जारी करते हुए कब्जा प्रदान किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—1995 के विरूद्व अपील दिनांक 01—01—19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि समय पर जमा नहीं करवाये जाने के कारण आवंटन पट्टा जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—09—1995 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01—01—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 10 ए.डी. हाल चक 5 एम. एम. के मुरब्बा नम्बर 54/39 में 24 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र विशेष आवंटन के तहत अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चालान जारी किया गया जिसके उपरान्त अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे साबित है कि अपीलांट द्वारा समय—समय पर अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राशि जमा होने के उपरान्त भी आज दिनांक तक अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को इस न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

(5) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 10 ए.डी. हाल चक 5 एम.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/39 के किला नम्बर 1 ता 25

तादादी 24 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073—2076 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है।

चूंकि वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाना उचित पाते है।

7. अतः उक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—09—1995 बहाल रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देशित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि का आवंटन पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी करावें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर